विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-9 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
9(क) क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बतायेंगे कि मदरसा मिनी आई0टी0आई0 में कार्यरत अनुदेशकों/ कार्मिकों के वेतन/ मानदेय के भुगतान हेतु बजट का आवंटन वार्षिक, छमाही या तिमाही किया जाता है ?	जी नहीं।
(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?	वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/ दस- 2023-231/ 2023, दिनांक-17.03.2023 के प्रस्तर-2(6)(स) के अनुसार वेतन/मानदेय के भुगतान हेतु बजट आवंटन के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गयी है:- प्रस्तर-2(6)(स) ऐसी राज सहायतित संस्थाएं, जिनके वचनबद्ध व्ययों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वहन करने का दायित्व राज्य सरकार का है और उन्हें मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सहायता दी जानी है, तो संस्थाओं के पास विगत वर्ष की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त धनराशि निम्नवत् अवमुक्त की जायेगी। (स) रू0 4.00 करोड़ से अधिक बजट व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि दो-दो महीने के अन्तराल पर छः समान किश्तों में अवमुक्त की जायेगी। मदरसा मिनी आई0टी0आई0 में कार्यरत अनुदेशकों/ कार्मिकों के मानदेय के भुगतान निरन्तर किया जा रहा है।
(ग) क्या उक्त बजट आवंटन 06 किश्तों में होने के कारण वेतन/मानदेय का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है ?	
(घ) इसका औचित्य क्या है और इसके लिए उत्तरदायी कौन है ?	प्रश्न नहीं उठता।
(ङ) क्या पूर्व की भाँति उक्त अनुदेशकों/ कार्मिकों के वेतन एवं मानदेय के भुगतान हेतु बजट का आवंटन छमाही कराना सुनिश्चित करायेंगे ?	उपरोक्तानुसार।

Digitally Signed by धर्मपाल सिंह
Date: 29-01-2024 17:12:24
Reason: Approved

(धर्मपाल सिंह)
मंत्री,
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ विभाग ।